

जोधपुर

विद्युत वितरण

निगम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे. 445 दिनांक 22-06-2001

आदेश


गत दिनों किसान संघों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न स्तर पर दिये गये धरनों फलस्वरूप कई कृषि उपभोक्ताओं द्वारा समय पर बिल नहीं भरे जा सकें, साथ ही कुछ जगह बिल भी उपभोक्ताओं द्वारा नहीं लिए गये या वितरण नहीं करने दिए गये । कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाई को देखते हुए लिये गये निर्णय फलस्वरूप निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च, अप्रैल एवं मई-2001 के बिलों के जमा कराने की अन्तिम तिथी निम्न अनुसार बढ़ा दी जावे :-

मार्च	-	जून ।
मार्च-अप्रैल	-	जून-जुलाई ।
मार्च-अप्रैल-मई	-	जून-जुलाई-अगस्त ।

अर्थात् जिनके एक माह का बकाया है उनसे जून में, दो माह का बकाया है तो उनसे जून एवं जुलाई में तथा तीन माह का बकाया होने पर जून, जुलाई व अगस्त तक अन्तिम भुगतान की तिथी बढ़ा दी जावे ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।


आज्ञा से,


(ओ०पी०सोबती)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर
- 2- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(परि०एवं संधा०-जोधपुर जोन/बीकानेर जोन),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर ।
- 3- मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 4- उप मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता (शहर/जिला/पवस/पी०पी०एण्ड एम०/पदार्थ प्रबन्ध/एम०एण्ड पी०/बी०एफ०एल०), जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/चुरु/जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिशाषी/सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारी को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावें ।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता(ऊर्जा), रीको, जयपुर ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी(परि०एवं संधा०/एम०एम०/अंकेक्षण),जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/बीकानेर ।
- 8- व्यक्तिगत सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 9- उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 10- कम्पनी सचिव / उप निदेशक (पी०एण्ड ए०), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 11- अधिशाषी अभियन्ता(विधि), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।


अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर